सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

वार्षिक लेखा
2024-25

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

वार्षिक लेखा
2024-25

7वीं–8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी, नई दिल्ली – 110001
भारत, फोन : +91-11-23355103, वेबसाईटः https://nfra.gov.in

विषय सूची

क्रं. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	v
2.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रथक रिपोर्ट	1
3.	तुलन–पत्र	5
4.	आय तथा व्यय लेखे	6
5.	प्राप्ति तथा भुगतान लेखे	7
6.	तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ	8
7.	आय और व्यय लेखों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ	15
8.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	20
9.	आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	23
10.	लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन	27

परिचय

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत 1 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित एक वैधानिक निकाय है। एनएफआरए का मुख्य उद्देश्य लेखांकन और लेखा परीक्षा के उच्च–गुणवत्ता मानकों की स्थापना करके और कंपनियों और निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों और लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करके सार्वजनिक हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों या निकायों से जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(13) के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने खातों से संबंधित ऐसी लेखा बही और अन्य लेखा बहियों का रख–रखाव ऐसे रूप में और ऐसी विधि से करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए।

एनएफआरए को दो उद्देश्य शीर्षों, अनुदान सहायता (वेतन) और अनुदान सहायता (सामान्य) के अंतर्गत अनुदान सहायता प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएफआरए को कुल ₹ 44.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एनएफआरए द्वारा किया गया व्यय ₹ 44.00 करोड़ था। इस कुल व्यय में से ₹ 15.50 करोड़ अनुदान सहायता (वेतन) से और ₹ 28.50 करोड़ अनुदान सहायता (सामान्य) से व्यय किए गए।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए खाते केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप में तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(14) में उल्लेख है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा उनके द्वारा निर्दिष्ट अंतराल पर की जाएगी और उनके द्वारा यथा प्रमाणित ऐसे खाते, उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे। तदनुसार, नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एनएफआरए के खातों की लेखा परीक्षा की गई है और पत्र संख्या रिपोर्ट/4(2)/विविध/एस ए आर/2023–24/305–307 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से लेखा परीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की है।

तदनुसार, यह रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित, वित्तीय वर्ष 2023–24 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एनएफआरए के लेखा–जोखा और उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(14) के अनुसार केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

राय

हमने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक का तुलन–पत्र, उस समय समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता, तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश भी शामिल है।

इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों की अनुरूपता, लेखा मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) के अनुपालन और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों और निम्नलिखित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए उसके वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन–टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के एकरूप प्रारूप के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है क्योंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी करने को सक्षम करना आवश्यक है जो महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन–टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्त./–
(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 नवंबर 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. तुलन पत्र

क.1 कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएँ

कॉर्पस/पूंजी निधि (अनुसूची–1): (–) 27,40,122

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) अपने सभी व्ययों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से 'अनुदान सहायता ('वेतन') और 'अनुदान सहायता (सामान्य)' प्राप्त करता है। इस संबंध में, लेखा मानक–12 (सरकारी अनुदानों का लेखा) के पैरा 15 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ–हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर आवश्यक अवधियों में मान्यता दी जानी चाहिए ताकि उनका मिलान उन संबंधित लागतों से किया जा सके जिनकी भरपाई के लिए वे अनुदान दिए गए हैं।

हालाँकि, एनएफआरए ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान किए गए ₹ 42.67 करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध ₹ 44.00 करोड़ के संपूर्ण अनुदान को आय के रूप में मान्यता दी।

इस प्रकार, संबंधित व्यय के साथ मिलान किए बिना अनुदान की संपूर्ण राशि को आय के रूप में मान्यता देने का लेखांकन व्यवहार, एएस–12 के उपरोक्त प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

क.2 परिसंपत्तियाँ

क.2.1 स्थाई परिसंपत्तियाँ (अनुसूची–8): ₹ 2,28,62,745

एनएफआरए को दिनांक 3 मार्च, 2023 को अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था बनने के बाद से ₹ 57.26 करोड़ (2022–23 में ₹ 5.76 करोड़, 2023–24 में ₹ 23.00 करोड़ और 2024–25 में ₹ 28.50 करोड़) की अनुदान सहायता (सामान्य) प्राप्त हुई थी, सरकार के स्वीकृति आदेशों के अनुसार अनुदान सहायता (सामान्य) का उपयोग घरेलू और विदेशी यात्रा व्यय, किराया और दरों, पेशेवर सेवाओं के भुगतान आदि पर होने वाले आवर्ती सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना था।

हालाँकि, एनएफआरए ने उपरोक्त अनुदानों में से ₹ 2.77 करोड़ की राशि का उपयोग स्थाई परिसंपत्तियों (अमूर्त संपत्तियों सहित) की खरीद के लिए किया, जिन्हें खातों में पूंजीकृत किया गया है और उन पर 31 मार्च 2025 तक ₹ 0.48 करोड़ की संचित मूल्यह्रास राशि प्रदान की गई है। लेखांकन मानक–12 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान सहायता (सामान्य) को ₹ 2.77 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत किया गया था।

इस प्रकार, अनुदान सहायता (सामान्य) का लेखांकन व्यवहार उस सीमा तक उचित नहीं था, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

पिछले वर्ष अर्थात् 2023–24 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद, एनएफआरए द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख. प्रबंधन पत्र

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से एक प्रबंधन पत्र जारी करके के प्रबंधन की जानकारी में लाया गया है।

ग. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

क) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त पाई गई।

ख) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

एनएफआरए में कोई पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है। एनएफआरए का आंतरिक लेखा परीक्षा अखिल भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखाकार परिषद, नई दिल्ली द्वारा किया गया था। वर्ष 2024–25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पूरी हो चुकी है।

ग) स्थाई परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली:

31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी स्थाई परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।

घ) इन्वेंट्री के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली:

31 मार्च 2025 तक एनएफआरए की बहियों में कोई इन्वेंट्री नहीं थी।

च) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता:

वैधानिक देय राशि के भुगतान में अनियमितता का कोई मामला नहीं पाया गया।

घ. अनुदान सहायता

दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक एनएफआरए में सरकारी अनुदानों का कोई आरंभिक शेष नहीं था। वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएफआरए को ₹ 44,00,00,000 (सामान्यः ₹ 28,50,00,000 और वेतनः ₹ 15,50,00,000) का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसका पूर्ण उपयोग किया गया।

एनएफआरए ने वर्ष 2024–25 के दौरान अनुदान सहायता पर ₹ 16,44,292 का ब्याज अर्जित किया।

इसे मंत्रालय को (3 जुलाई 2025) प्रेषित कर दिया गया।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन– पत्र

(राशि रुपयों में)

कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएँ	अनुसूची	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	(27,40,122)	(1,22,06,538)
रिजर्व एवं अधिशेष	2	1,188	1,188
निर्धारित/दान निधियां	3	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-	-
आस्थगित साख देयताएँ	6	-	-
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	3,82,55,466	4,67,11,116
कुल		**3,55,16,532**	**3,45,05,765**
परिसंपत्तियाँ	**अनुसूची**	**वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25**	**पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24**
स्थायी परिसंपत्तियाँ	8	2,28,62,745	2,15,03,420
निवेश – निर्धारित/ दान निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	11	1,26,53,787	1,30,02,345
विविध व्यय (जो एक सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाले गए या समायोजित नहीं किए गए)		-	-
कुल		**3,55,16,532**	**3,45,05,765**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 07/08/2025

हस्ता./–
अध्यक्ष

हस्ता./–
सदस्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए आय और व्यय के लेखे

(राशि रुपयों में)

आय	टनुसूची	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान	13	44,00,00,000	35,23,82,300
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित /दान निधि से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	-	-
अन्य आय	18	-	-
तैयार माल और निर्माणाधीन कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल (क)		**44,00,00,000**	**35,23,82,300**
व्यय	**टनुसूची**	**वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25**	**पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24**
स्थापना व्यय	20	15,59,97,945	12,56,46,621
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	21	27,03,58,313	25,21,99,342
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुसार– वर्ष के अंत में शुद्ध योग)		38,36,046	7,06,630
कुल (ख)		**43,01,92,304**	**37,85,52,593**
व्यय के मुकाबले अधिक आय (क+ख) के करण शेष		98,07,696	(2,61,70,293)
जोड़ें/(घटाएँ) : पूर्व अवधि के समायोजन (अनुसूची 25, नोट 5 देखें)		(3,41,280)	110
पूर्व अवधि की मदों के बाद, व्यय के मुकाबले अधिक आय के करण शेष		94,66,416	(2,61,70,183)
विशेष रिजर्व में अंतरित		-	-
सामान्य रिजर्व से/में अंतरित		-	-
अधिशेष (घाटा) होने वाले शेष को कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया।		94,66,416	(2,61,70,183)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24	-	-
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25	-	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली हस्ता./– हस्ता./–

तारीख : 07/08/2025 अध्यक्ष सदस्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखे

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियाँ	चालू अवधि वित्त वर्ष 2024–25		पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24		भुगतान	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25		पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24	
I. आरंभिक शेष					**I. व्यय**				
(क) हाथ में नकद	-				(क) स्थापना व्यय	15,19,57,526		12,11,07,966	
(ख) बैंक शेष					(अनुसूची 20 के अनुरूप)				
(i) चालू खातों में					(ख) प्रशासनिक व्यय	28,29,61,467		23,62,33,846	
– पंजाब नेशनल बैंक	77,83,866	77,83,866	1,38,27,554	1,38,27,554	(अनुसूची 21 के अनुरूप)		43,49,18,992		35,73,41,813
					II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए				
(ii) जमा खातों में					निधियों से किए गए भुगतान		-		-
– सावधि जमा	-				**III. निवेश और जमा की गयी धन राशि**				
(iii) बचत खाते	-	-	-	-	क) निर्धारित/दान निधि से	-			
					ख) स्वयं की निधि से (अन्य निवेश)	-	-		-
II. प्राप्त अनुदान					**IV. स्थाई परिसंपत्तियों और चालू पूँजीगत कार्यों पर व्यय**				
(क) भारत सरकार से	44,00,00,000		38,48,82,300		क) स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	51,70,336		28,13,319	
(ख) राज्य सरकार से	-				ख) चालू पूँजीगत कार्यों पर व्यय	-	51,70,336	-	28,13,319
(ग) अन्य स्रोतों से	-	44,00,00,000	-	38,48,82,300	**V. अधिशेष धनराशि/ऋण की वापसी**				
III. निम्न लिखित के निवेश से आय					क) भारत सरकार को	-		3,25,00,000	
(क) निर्धारित/ दान निधियां	-				ख) राज्य सरकार को	-		-	
(ख) स्वयं की निधियां	-	-			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-	-	3,25,00,000
IV. प्राप्त ब्याज					**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**		-		-
(क) बैंक जमा पर	14,77,461		16,51,144				-		-
(ख) ऋण, अग्रिम आदि		14,77,461		16,51,144	**VII. अन्य भुगतान**				
					प्रतिभूति जमा	-		-	-
V. अन्य आय					मंत्रालय को देय ब्याज और अन्य	18,86,748	18,86,748	-	-
(क) प्राप्त शुल्क	-								
(ख) स्क्रैप/ परिसंपत्तियों की बिक्री	6,563	6,563	-	-	**VIII. अंत शेष**				
					(क) रोकड़ शेष	-		-	
VI. उधार ली गई राशि		-			(ख) बैंक शेष:				
					(i) चालू खातों में				
VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ					– पंजाब नेशनल बैंक	79,22,706		77,83,866	
(क) अन्य प्राप्तियाँ	4,45,613		72,860		(ii) जमा खातों में				
(ख) आयकर वापसी	1,85,279	6,30,892	5,140	78,000	– सावधि जमा	-		-	
					(iii) बचत खातों में	-	79,22,706	-	77,83,866
कुल जोड़		**44,98,98,782**		**40,04,38,998**	**कुल जोड़**		**44,98,98,782**		**40,04,38,998**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 07/08/2025

हस्ता./–
अध्यक्ष

हस्ता./–
सदस्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

31 मार्च 2025 को तुलन– पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची–1
कॉर्पस/पूंजी निधि

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
अवधि के शुरु में शेष	(1,22,06,538)	1,39,63,645
जोड़ें : निधि के लिए योगदान	-	-
जोड़ें/(घटाएँ) : नेट आय/(व्यय) का शेष	94,66,416	(2,61,70,183)
आय और व्यय खाते से अंतरित		
अवधि के अंत में शेष	**(27,40,122)**	**(1,22,06,538)**

अनुसूची–2
रिजर्व और अधिशेष

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. पूंजी रिजर्व		
पिछले खाते के अनुसार	1,188	1,188
जोड़ें: मंत्रालय द्वारा खरीदी गई स्थाई परिसंपत्तियों का सांकेतिक मूल्य	-	-
घटाएँ: अवधि के दौरान की गई कटौतियाँ	-	-
2. पुनर्मूल्यन रिजर्व		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: अवधि के दौरान की गई कटौतियाँ	-	-
3. विशेष रिजर्व निधियाँ		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: अवधि के दौरान की गई कटौतियाँ	-	-
4. सामान्य रिजर्व निधि		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: अवधि के दौरान की गई कटौतियाँ	-	-
कुल जोड़	**1,188**	**1,188**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./– हस्ता./–

अध्यक्ष सदस्य

अनुसूची–3
निर्धारित/दान निधि

(राशि रुपयों में)

	निधि XX	निधि yy	निधि zz	कुल जोड़	
				वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
क) निधि का आरंभिक शेष	-	-	-	-	-
ख) निधियों में वृद्धिः					
i) दान/अनुदान	-	-	-	-	-
ii) निधि की मद में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-
iii) अन्य वृद्धियां	-	-	-	-	-
कुल जोड़ (क+ख)	-	-	-	-	-
ग) निधि के उद्देश्य से उपयोग/व्यय					
i) पूंजीगत व्यय					
– स्थायी संपत्तियाँ	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय					
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-
कुल जोड़ (ग)	-	-	-	-	-
अवधि के अंत में नेट शेष (क+ख–ग)	-	-	-	-	-

अनुसूची–4
सुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. केंद्र सरकार	.	.
2. राज्य सरकार	.	.
3. वित्तीय संस्थाए		
क) आवधिक ऋण	.	.
ख) उपार्जित और बकाया ब्याज	.	.
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण		
– उपार्जित और बकाया ब्याज	.	.
ख) अन्य ऋण		
– उपार्जित और बकाया ब्याज	.	.
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	.	.
6. ऋणपत्र और बांड	.	.
7. अन्य	.	.
कुल जोड़	.	.
ध्यान दें: एक माह में देय राशि।		

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./– **हस्ता./–**

अध्यक्ष **सदस्य**

अनुसूची–5
प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-
4. बैंक:		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	-	-
6. ऋण–पत्र और बांड	-	-
7. आवधिक जमा	-	-
8. अन्य	-	-
जोड़	-	-
नोट: एक अवधि में देय राशि	-	-

अनुसूची–6
आस्थगित ऋण देयताएँ

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. पूंजीगत उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त की गई स्वीकृतियाँ	-	-
2. अन्य	-	-
जोड़	-	-
नोट: एक अवधि में देय राशि	-	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–
अध्यक्ष

हस्ता./–
सदस्य

अनुसूची–7
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25		पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24	
क. वर्तमान देयताएँ				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार:				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-		-
3. प्राप्त अग्रिम				-
4. निम्नलिखित पर ब्याज जमा हुआ किन्तु बाकी नहीं:				
क) प्रतिभूति ऋण/उधार	-		-	
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार	-	-	-	-
5. सांविधिक देयताएँ:				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	55,07,139	55,07,139	55,93,446	55,93,446
6. अन्य वर्तमान देयताएँ		2,17,93,342		2,98,49,771
जोड़ (क)		**2,73,00,481**		**3,54,43,217**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेच्युटि		10,09,081		5,70,972
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण		38,28,283		26,98,059
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6. अन्य				
क) वेतन के लिए	16,05,676		19,79,570	
ख) आउटसोर्स स्टाफ के लिए	6,21,082		5,34,715	
ग) व्यावसायिक सेवाओं के लिए	14,73,080		13,75,601	
घ) कार्यालय व्यय के लिए	24,17,783	61,17,621	41,08,982	79,98,868
जोड़ (ख)		**1,09,54,985**		**1,12,67,899**
कुल जोड़ : (क + ख)		**3,82,55,466**		**4,67,11,116**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–
अध्यक्ष

हस्ता./–
सदस्य

अनुसूची–8
स्थायी परिसंपत्तियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास और परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	अवधि की शुरुआत में लागत	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान कटौती/समायोजन	अवधि के अंत में लागत	अवधि के शुरु में	अवधि के दौरान	अवधि के दौरान कटौती और समायोजन	अवधि के अंत तक कुल	वर्तमान अवधि की समाप्ति पर	पिछली अवधि की समाप्ति पर
क. स्थायी परिसंपत्तियाँ										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि जो संस्था की नहीं, उस पर सुपर स्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. फर्नीचर और फिक्स्चर	75,381	1,11,540	-	1,86,921	1,507	13,427	(1,815)	16,749	1,70,172	73,874
6. कार्यालय उपकरण	4,10,611	1,17,602	-	5,28,213	74,041	90,670	(8,605)	1,73,316	3,54,897	3,36,570
7. कंप्यूटर/उपकरण	22,79,947	26,33,550	-	49,13,497	6,22,523	13,75,615	-	19,98,138	29,15,359	16,57,424
8. विद्युत संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय पुस्तकें	1,51,500	23,446	-	1,74,946	19,315	48,750	-	68,065	1,06,881	1,32,185
10. नलकूप और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थाई परिसंपत्तियाँ	14,16,850	8,26,198	9,000	22,34,048	2,40,370	4,37,921	2,455	6,75,836	15,58,212	11,76,480
12. अमूर्त परिसंपत्तिया (सॉफ्टवेयर)	-	1,96,26,887	-	1,96,26,887	-	18,69,663	-	18,69,663	1,77,57,224	-
वर्तमान अवधि का योग	**43,34,289**	**2,33,39,223**	**9,000**	**2,76,64,512**	**9,57,756**	**38,36,046**	**(7,965)**	**48,01,767**	**2,28,62,745**	**33,76,533**
पिछली अवधि	**15,50,970**	**28,13,319**	**30,000**	**43,34,289**	**2,58,626**	**7,06,630**	**7,500**	**9,57,756**	**33,76,533**	**12,92,344**
चालू पूँजीगत कार्य (अनुसूची 25, नोट 3 देखें)	1,81,26,887	15,00,000	1,96,26,887	-					-	1,81,26,887
कुल	**43,34,289**	**2,33,39,223**	**9,000**	**2,76,64,512**	**9,57,756**	**38,36,046**	**(7,965)**	**48,01,767**	**2,28,62,745**	**2,15,03,420**

नोटः ऋणात्मक अंक कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–
अध्यक्ष

हस्ता./–
सदस्य

अनुसूची–9
निर्धारित/दान निधियों से निवेश

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण–पत्र और बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची–10
निवेश – अन्य

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण–पत्र और बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
जोड़	-	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–
अध्यक्ष

हस्ता./–
सदस्य

अनुसूची–11
वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25		पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24	
वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि				
क. वर्तमान संपत्तियाँ				
1. विविध देनदार				
(क) छह महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण	-		-	
(ख) अन्य	-	-	-	-
2. नकद रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट और पेशगी सहित)		-		-
3. बैंक शेषः				
अनुसूचित बैंकों के साथः				
(I) चालू खाते में				
(क) पीएनबी	79,22,706	79,22,706	77,83,866	77,83,866
(ii) जमा खातों में (मार्जिन धनराशि सहित)				
(क) सावधि जमा–पीएनबी		-		
(iii) बचत खातों में		-		-
4. डाकघर–बचत खाते में		-		-
जोड़ (क)		**79,22,706**		**77,83,866**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. ऋण				
क) स्टाफ को				
ख) समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य इकाइयों को	-		-	
ग) अन्य को	-	-	-	
2. अग्रिम और अन्य राशि जो नगद रूप में या वस्तु के रूप में				
वसूलने योग्य या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए राशि :				
क) पूँजी खाते पर				
ख) पूर्व भुगतान	36,00,174		34,13,896	
ग) अन्य–प्रतिभूति जमा	-		-	
– विक्रेता	9,37,000		6,15,598	
– स्टाफ	-	45,37,174	6,36,254	46,65,748
3. अर्जित आय				
क) निर्धारित निधि/ दान निधि से निवेश पर				
ख) अन्य– निवेश पर	-		-	
ग) ऋण और अग्रिमों पर	-		-	
घ) अन्य	-		-	
– अर्जित ब्याज	-		-	
– अनुदान सहायता	-	-	-	-
4. प्राप्य दावे – टीडीएस	1,66,831		1,85,279	
– अन्य	-	1,66,831	3,67,452	5,52,731
5. अन्य परिसंपत्तियाँ				
क) अशोधित व्यय	27,076	27,076	-	
जोड़ (ख)		**47,31,081**		**52,18,479**
कुल जोड़ (क + ख)		**1,26,53,787**		**1,30,02,345**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./– हस्ता./–

अध्यक्ष सदस्य

अनुसूची–12
बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएँ	-	-
ग) एजेंसी कमीशन या ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
च) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची–13
अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी)

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. केंद्र सरकार	44,00,00,000	35,23,82,300
2. राज्य सरकारें	-	-
3. सरकारी एजेंसियाँ	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य	-	-
जोड़	**44,00,00,000**	**35,23,82,300**

अनुसूची–14
शुल्क/अंशदान

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. दाखिल करने का शुल्क	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
जोड़	-	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./– अध्यक्ष

हस्ता./– सदस्य

अनुसूची–15
निवेशों से आय

(निर्धारित/दान निधि से अंतरित की गई निधियों के निवेश पर आय) (राशि रुपयों में)

	निर्धारित निधियों से निवेश		अन्य–निवेश	
	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-
निर्धारित / दान निधियों में अंतरित	-	-	-	-

अनुसूची–16
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची–17
अर्जित ब्याज

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. सावधि जमा पर (एफ डी आर)		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत/ऑटो स्वीप खातों पर		
क) अनुसूचित खातों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) डाकघर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों पर:		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
जोड़	-	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./– **हस्ता./–**

अध्यक्ष **सदस्य**

अनुसूची–18
अन्य आय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभः		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ	-	-
ख) अनुदान से खरीदी गई या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
2. सूचना का अधिकार शुल्क	-	-
3. विविध आय (अन्य प्राप्तियाँ)	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची–19
तैयार माल और चालू कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
(क) समापन स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चालू कार्य	-	-
घटाएँ : आरंभिक स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चालू कार्य	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची–20
स्थापना व्यय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. वेतन एवं मजदूरी	11,82,13,370	8,99,83,878
2. भत्ते एवं बोनस	1,51,14,020	1,18,14,454
3. भविष्य निधि/नई पेंशन योजना में अंशदान	1,00,94,686	78,77,721
4. अन्य निधियों में अंशदान	-	-
5. कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	2,19,444	9,47,721
6. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय		
क) ग्रेच्युटी	4,38,109	5,70,972
ख) एल एस और पी सी	85,25,433	1,19,29,932
7. अन्य – आवासीय/चिकित्सा	33,28,383	25,04,943
– पुरस्कार	64,500	17,000
जोड़	**15,59,97,945**	**12,56,46,621**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./– हस्ता./–

अध्यक्ष सदस्य

अनुसूची–21
अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. क्रय	-	-
2. श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय	-	-
3. माल भाड़ा और आवक भाड़ा	-	-
4. बिजली और ऊर्जा	16,00,985	16,00,036
5. जल प्रभार	6,10,681	6,49,629
6. बीमा	-	-
7. मरम्मत एवं रख–रखाव/एएमसी	14,62,476	10,32,998
8. भवन (कार्यालय परिसर) का किराया		
क) परिसर का किराया	6,80,30,017	6,80,30,016
ख) परिसर का रख–रखाव	11,96,42,664	12,53,30,751
9. किराया, दरें तथा कर	-	-
10. वाहन संचालन, रख–रखाव या भाड़ा प्रभार	17,23,331	12,45,140
11. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	17,65,861	23,64,267
12. मुद्रण और लेखन सामग्री	11,30,910	10,26,761
13. यात्रा और परिवहन व्यय	-	-
क) विदेशी	43,56,938	27,91,732
ख) घरेलू	47,78,581	23,15,677
14. अंशदान व्यय	-	-
15. कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	-	-
16. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/कानूनी शुल्क	4,25,930	5,72,895
17. आतिथ्य व्यय	5,71,416	5,30,817
18. व्यावसायिक प्रभार	4,06,69,444	1,71,72,067
19. डूबते एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
20. बट्टे खाते में डाली गई अपूरणीय शेष राशि/परिसंपत्तियों की बिक्री पर नेट घाटा	-	-
21. पैकिंग प्रभार	-	-
22. भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
23. सेमिनार एवं कार्यशाला पर व्यय	8,78,532	1,06,71,720
24. विज्ञापन एवं प्रचार	4,00,961	8,05,576
25. अन्य	-	-
क) सदस्यता शुल्क	21,34,224	8,08,494
ख) बैंक शुल्क	4,957	393
ग) प्रकाशन	1,05,501	75,840
घ) सुरक्षा/अन्य सेवाओं की आउटसोर्सिंग	1,42,89,186	1,38,65,986
च) आधुनिकीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग	42,48,396	4,06,941
छ) पत्रिकाएँ और समाचार पत्र	12,79,136	7,00,876
ज) विविध व्यय	2,48,186	1,98,014
झ) आयकर व्यय	-	2,716
जोड़	**27,03,58,313**	**25,21,99,342**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–	हस्ता./–
अध्यक्ष	**सदस्य**

अनुसूची–22
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची–23
ब्याज

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान अवधि वित्तय वर्ष 2024–25	पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24
1. निश्चित ऋणों पर	-	-
2. अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
3. अन्य	-	-
जोड़	-	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–	हस्ता./–
अध्यक्ष	सदस्य

अनुसूची–24
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन कान्वेंशन

1.1 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार, लेखा के एक समान प्रारूप को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। ये लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जी ए ए पी) और लागू लेखा मानकों के अनुसार उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. स्थाई परिसंपत्तियाँ

2.1 स्थाई संपत्तियों को उनकी मूल लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया गया है। लागत में परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने में किए गए प्रत्यक्ष और आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

2.2 तुलन– पत्र की तिथि से पहले उपयोग के लिए तैयार न होने वाली परिसंपत्तियों की लागत को चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है। चालू पूंजीगत कार्य का उल्लेख लागत और संचित हानि यदि कोई हो, में किया जाता है।

2.3 कर्मचारियों को कार्यालयीन प्रयोजन हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई स्थाई परिसंपत्तियां जैसे – लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, अल्ट्राबुक, नोटबुक और मोबाइल हैंडसेट (सभी सहायक उपकरण सहित) को 'अन्य स्थाई परिसंपत्तियों' (अनुसूची 8 में) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि कोई अधिकारी ऐसी प्रतिपूर्ति योग्य परिसंपत्ति की खरीद के चार वर्ष पूरे होने से पहले सेवा या एनएफआरए को छोड़ देता है तो अधिकारी उस उपकरण को अपने उपयोग के लिए उस समय के मूल्य पर खरीद सकता है जो सेवा छोड़ने/सेवानिवृत्ति की तिथि पर डिवाइस का होगा। एनएफआरए द्वारा यह लेखांकन नीति परिसंपत्ति की प्रतिपूर्ति की शर्तों और नियमों के आधार पर परिसंपत्ति की अवधि 4 वर्ष ध्यान में रखते हुए अपनाई गई है।

परिसंपत्तियों की उपयोगी मियाद निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

परिसंपत्तियों की प्रकृति	परिसंपत्तियों का उपयोगी मियाद
फर्नीचर और फिक्स्चर	10
कार्यालय उपकरण	5
कंप्यूटर/उपकरण	3
पुस्तकालय पुस्तकें	3
अन्य स्थाई परिसंपत्तियाँ	4
सॉफ्टवेयर	5

3. मूल्यह्रास

3.1 वित्त वर्ष 2023–24 से, एनएफआरए ने मूल्यह्रास संबंधी अपनी नीति में संशोधन किया है। वित्त वर्ष 2022–23 में, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास लगाया गया था। वित्त वर्ष 2023–24 से, परिसंपत्तियों के

उपयोगी मियाद के आधार पर मूल्यह्रास लगाया जा रहा है। परिसंपत्तियों की उपयोगी मियाद, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–11 से ली गई है, सिवाय अन्य स्थाई परिसंपत्तियों के, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की नीति संख्या 2.3 में उल्लिखित है, जिन पर अवशिष्ट/निस्तारण मूल्य को ध्यान में रखे बिना सीधे तौर पर 25% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

3.2 इस अवधि के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों में वृद्धि/कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास एक वर्ष में उपयोग/धारित दिनों के आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

3.3 पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर, जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 5,000/– रुपये से कम है, उस अवधि में उसे पुरी तरह समाप्त कर दिया जाता है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

4.1 अमूर्त संपत्तियों की पहचान अधिग्रहण लागत पर की जाती है। ऐसी संपत्तियों का परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। अमूर्त संपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोगी मियाद में व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 अमूर्त संपत्ति की पहचान निपटान के समय या उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न होने पर समाप्त कर दी जाती है। संपत्ति की पहचान समाप्त करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि, जो शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच का अंतर होता है, पहचान समाप्त करने के वर्ष में आय और व्यय विवरण में दर्ज किया जाता है।

5. "सरकारी अनुदान/सब्सिडी"

5.1 सरकारी अनुदानों को उस अवधि की आय माना जाता है जिसमें वे प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग उपार्जन आधार पर किया जाता है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

5.2 अप्रयुक्त अनुदान, यदि कोई हो, को अगले वित्तीय वर्ष की पहली या बाद की किस्तों के जारी होने पर समायोजित किया जाता है।

6. राजस्व मान्यता

6.1 एनएफआरए स्वयं कोई आय उत्पन्न नहीं करता है, न ही कोई आय–उत्पादक गतिविधियाँ करता है।

6.2 प्राप्त अनुदानों पर बैंक से अर्जित ब्याज सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 के उपनियम 8 के अनुसार मंत्रालय को प्रेषित की जाती है। अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज और आरटीआई शुल्क की राशि को राजस्व के रूप में मानने के बजाय मंत्रालय को देय के अंतर्गत देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

6.3 पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्जित ब्याज को ऑटो–स्वीप सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) की समयपूर्व निकासी के कारण बैंक द्वारा चालू वर्ष के दौरान उलट दिया जाता है। इस तरह के उलटे ब्याज की राशि को मंत्रालय को देय ब्याज की देयता के सामने तदनुसार समायोजित किया जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष में इसका लेखा–जोखा रखा गया था और अधिक राशि प्रेषित की गई थी।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेनदेन, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किए जाते हैं।

7.2 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित चालू परिसंपत्तियों और/या चालू देनदारियों को अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 एनएफआरए में सीधी भर्ती किए गए कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं और एनएफआरए में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी अपने संबंधित मूल संगठनों के अनुसार एनपीएस या अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के अंतर्गत आते हैं। एनएफआरए संबंधित निधि में नियोक्ता के हिस्से के अनुसार योगदान देता है।

8.2 अल्पकालिक कर्मचारी के लाभों को उस वर्ष के आय–व्यय विवरण में बिना छूट की राशि में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिस वर्ष कर्मचारी सेवा प्रदान करता है। निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान को, देय होने पर, लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी और अवकाश भुगतान की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है। कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का प्रावधान इस धारणा पर अर्जित और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

9. पट्टा

9.1 पट्टा किराया पट्टा शर्तों के संदर्भ में व्यय किया जाता है और अनुसूची–21: अन्य प्रशासनिक व्यय में 'भवन का किराया' शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–	हस्ता./–
अध्यक्ष	**सदस्य**

अनुसूची–25
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

1.1 निम्नलिखित के संबंध में:

- एनएफआरए द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियाँ शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य)।
- एनएफआरए की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख–पत्र शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य)।
- बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य)।
- कोई विवादित माँग नहीं है।
- कार्यालय परिसर के किराए और रख–रखाव की बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है जबकि मकान मालिक के साथ बातचीत चल रही हो और इसीलिए ₹ 84,34,760/–की धनराशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। (पिछले वर्ष शून्य)।

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ

2.1 एनएफआरए कोर एप्लीकेशन सिस्टम (एनसीएएस) जो एक वर्कफ़्लो–आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसे एनएफआरए की ओर से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई) के माध्यम से विकसित किया गया है। एनसीएएस परियोजना का विकास अक्तूबर, 2019 में शुरू हुआ और 30 सितंबर 2024 को पूरा हुआ था। इस परियोजना के पूरा होने पर, इस एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर के रूप में स्थाई संपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है। इसके लिए कोई पूंजी प्रतिबद्धता नहीं है। (पिछले वर्ष 15,00,000/–)

3. एनएफआरए कोर एप्लीकेशन सिस्टम (एनसीएएस) का पूंजीकरण

3.1 दिनांक 03.03.2022 को एनएफआरए के अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन बनने के बाद और दिनांक 31.03.2024 तक, एनआईसीएसआई को एनएफआरए कोर एप्लीकेशन सिस्टम (एनसीएएस) के विकास हेतु ₹ 1,81,26,886/– की राशि जारी की गई, जिसे अनुसूची 8 –स्थाई संपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, उक्त परियोजना के लिए ₹ 15,00,000/– का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिससे दिनांक 30.09.2024 तक कुल पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) ₹ 1,96,26,886/– हो गई। चूंकि एनसीएएस परियोजना के सभी मॉड्यूल दिनांक 30.09.2024 तक एनएफआरए को सौंप दिए गए थे और कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए संपूर्ण पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) राशि को अमूर्त परिसंपत्तियों (सॉफ्टवेयर) के तहत पूंजीकृत किया गया है।

4. मूल्यह्रास

4.1 एनएफआरए ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान मूल्यह्रास लगाने की अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है और परिसंपत्तियों की उपयोगी मियाद के आधार पर मूल्यह्रास लगाना जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिनांक 03.03.2023 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए) के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास लगाया गया था। हालाँकि, वित्तीय विवरणों की बेहतर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2023–24 में, एनएफआरए ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों के बजाय परिसंपत्तियों की उपयोगी मियाद के आधार पर मूल्यह्रास लगाने की अपनी नीति में संशोधन किया। नीति में इस बदलाव का मूल्यह्रास और स्थाई

परिसंपत्तियों के वहन मूल्य दोनों पर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, 1,90,078/– की अतिरिक्त राशि का मूल्यह्रास लगाया गया, और इसी अनुक्रम में, वर्ष 2023–24 में स्थाई परिसंपत्तियों का लिखित मूल्य उसी राशि से कम हो गया। वर्ष 2024–25 में, इन परिसंपत्तियों पर उपरोक्त राशि के समायोजन के बाद मूल्यह्रास लगाया गया है। दिनांक 01.04. 2024 को आरंभिक लिखित मूल्य का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी मियाद के आधार पर किया गया है ताकि परिसंपत्तियों के उपयोगी मियाद के अंत में मूल्यह्रास का लिखित मूल्य के साथ उचित प्रस्तुति और संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।

5. पूर्व अवधि का समायोजन

5.1 पूर्व व्यय मदों का पूंजीकरणः वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिनांक 03.03.2023 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए) के दौरान, दो पंखों के लिए ₹ 30,000/– और एक टीवी स्टैंड के लिए ₹ 12,000/– की राशि, कुल मिलाकर ₹ 42,000/–, की राशि वित्तीय विवरणों में गलती से व्यय के रूप में दर्शा दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में, एनएफआरए ने उक्त राशि को स्थाई परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत करके इस त्रुटि को सुधार लिया गया है। तदनुसार, ₹ 42,000/– की राशि को स्थाई परिसंपत्तियों में से घटाकर पूर्व अवधि के समायोजन खाते में जमा कर दिया गया है। इसके अलावा, दिनांक 03.03.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए इन परिसंपत्तियों पर ₹ 10,420/– की मूल्यह्रास राशि प्रदान की गई है और इसे अचल परिसंपत्तियों में जमा करके पूर्व अवधि के समायोजन खाते के माध्यम से समायोजित किया गया है।

5.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित विक्रेताओं द्वारा जारी किए गए इन्वॉइसेस, जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान किया गया था और जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, उन्हें पूर्व अवधि के व्यय के रूप में 'पूर्व अवधि समायोजन' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

6. अनुदान सहायता

6.1 एनएफआरए द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान विशिष्ट स्थाई परिसंपत्तियों के लिए नहीं, बल्कि अनुदान सहायता (वेतन) और अनुदान सहायता (सामान्य) के रूप में होते हैं। अनुदान सहायता (वेतन) का उपयोग विशेष रूप से एनएफआरए में स्वीकृत पदों के वेतन और संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अनुदान सहायता (सामान्य) का उपयोग अन्य सभी राजस्व व्यय जैसे कार्यालय व्यय, प्रशासनिक लागत आदि, और फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर, बाह्य उपकरणों और अन्य कार्यालय उपकरणों जैसी संपत्तियों की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। व्यय का लेखांकन केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखा के एकरूप प्रारूप के अनुसार किया जाता है, जिसके अनुसार पूंजीगत मदों पर ₹ 5,000 से अधिक के किसी भी व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत और दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

7. चालू परिसंपत्तियाँ

7.1 एनएफआरए की राय में, चालू परिसंपत्तियों का सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्ति मूल्य, तुलन– पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

8. कराधान

8.1 बैंक से ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज पर आयकर देयता नहीं बनती है क्योंकि यह एनएफआरए की आय नहीं है और इसे सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 के उपनियम 8 के अनुसार मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाता है।

9. राजस्व मान्यता

9.1 वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 16,44,292/– की राशि के अनुदान पर अर्जित ब्याज को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 के उपनियम 8 के अनुसार मंत्रालय को देय ब्याज (बिंदु 6 अन्य चालू देयताएँ, अनुसूची 7) के रूप में मान्यता दी गई है।

9.2 एनएफआरए के अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन बनने से पहले जारी किए गए मोबाइल हैंडसेट, लैपटॉप और ऐसी अन्य परिसंपत्तियों को अपने पास रोके रखने वाले संबंधित अधिकारियों से वसूलियों और सभी प्राप्तियों को "मंत्रालय को देय" के अंतर्गत देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है।(बिंदु 6 अन्य चालू देयताएँ, अनुसूची 7)

9.3 एनएफआरए में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मूल कार्यालयों से पिछले वित्तीय वर्षों के अनुदानों पर लगाए गए व्यय से संबंधित किसी भी वापसी की गई निधि या वापसी को "मंत्रालय को देय" के अंतर्गत देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा लेन–देन

10.1 विदेशी मुद्रा लेन–देन को मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई लेन–देन विदेशी मुद्रा में हो या उसका निपटान विदेशी मुद्रा में किया जाना आवश्यक हो।

वर्तमान अवधि के दौरान, निम्नलिखित लेन–देन विदेशी मुद्रा में थे या उनमें निपटान विदेशी मुद्रा किया जाना आवश्यक था:

व्यय की प्रकृति	राशि (विदेशी मुद्रा में)	
	चालू वर्ष वित्तय वर्ष 2024–25	पिछला वर्ष वित्त वर्ष 2023–24
आयात का मूल्य	*शून्य*	*शून्य*
विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय		
– यात्रा	*यूरो € 2543*	*यूरो € 2700*
	अमेरिकी डॉलर $ 10331	*अमेरिकी डॉलर $ 5200*
	आरएम 402	*शून्य*
	एम यू आर 13200	*शून्य*
	शून्य	*जापानी ¥ 935840*
–अन्य		
सदस्यता (आईएफआईएआर)	*जापानी ¥ 2895470*	*जापानी ¥ 4924078*
सदस्यता (ईआईएफआरएस)	*शून्य*	*जी बी € : 231*
प्रमाणन (पाठ्यक्रम आईएफआर)	*जी बी € : 435*	*जी बी € : 2330*
	अमेरिकी डॉलर $ 955	*शून्य*

11. सेवानिवृत्ति लाभ

11.1 कर्मचारी लाभ, जैसे अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी अंशदान, के लिए किए जाने वाले प्रावधान मुख्य संचयी संकल्पनाओं के आधार पर किए गए हैं जिनमें छूट दर, मृत्यु दर, सेवा–छूट दर, वेतन वृद्धि दर और वास्तविकता के आधार पर की गई कुछ निश्चित आर्थिक अवधारणाएं शामिल की गई है।

12. वर्तमान देयताएँ

12.1 मार्च, 2025 के दौरान, एनएफआरए द्वारा कर्मचारियों और विक्रेताओं से टीडीएस और जीएसटी–टीडीएस के रूप में काटी गई राशि को अनुसूची 7 में "सांविधिक देयताएँ–अन्य" के अंतर्गत दर्शाया गया है। ये राशियाँ दिनांक 31.03.2025 के बाद संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित कर दी गई थीं।

12.2 मार्च, 2025 माह के लिए कार्यालय परिसर के किराए और फरवरी व मार्च 2025 के कुछ भाग के लिए कार्यालय परिसर के 8रख–रखाव हेतु देय राशियाँ, ऑटो स्वीप एफडीआर पर अर्जित ब्याज और मंत्रालय को देय अन्य प्राप्तियाँ, साथ ही वेतन एवं लेखा कार्यालय की वसूलियों के लिए कर्मचारियों से वसूली गई राशियाँ आदि को अनुसूची 7 में 'अन्य चालू देयताएँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये राशियाँ दिनांक 31.03.2025 के बाद प्रेषित की गईं।

13. जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

14. अनुसूची 1 से 25 तक दिनांक 31 मार्च 2025 तक के तुलन– पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते के एक अभिन्न हिस्से के रूप में संलग्न की जाती है।

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हस्ता./–	**हस्ता./–**
अध्यक्ष	**सदस्य**

लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की प्रथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) अपने सभी व्ययों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से ''अनुदान सहायता (वेतन)'' और 'अनुदान सहायता (सामान्य)' प्राप्त करता है। इस संबंध में, लेखा मानक 12 (सरकारी अनुदानों का लेखा) के पैरा 15 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ–हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर आवश्यक अवधि के दौरान मान्यता दी जानी चाहिए ताकि उनका मिलान उन संबंधित लागतों से किया जा सके जिनकी भरपाई के लिए वे अनुदान दिए गए हैं। हालाँकि, एनएफआरए ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान किए गए ₹ 42.67 करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध ₹ 44.00 करोड़ रुपये के संपूर्ण अनुदान को आय के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार, संबंधित व्यय के साथ मिलान किए बिना अनुदान की संपूर्ण राशि को आय के रूप में मान्यता देने का लेखांकन व्यवहार, एएस–12 के पूर्वोक्त प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।	एनएफआरए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और संसद द्वारा स्वीकृत, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से भारत की संचित निधि (सीएफआई) से पूर्णतः वित्तपोषित है। कानून के तहत एनएफआरए के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। एनएफआरए कोई आय–उत्पादक या वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से जिस वर्ष में अनुदान सहायता प्राप्त होती है उसे उस वर्ष में आय के रूप में दर्ज किया जाता है, और संबंधित व्यय को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्धारित और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एनएफआरए द्वारा अपनाने के लिए संप्रेषित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एकरूप प्रारूप के अनुसार, उपार्जन आधार पर दर्ज किया जाता है। इस लेखांकन पद्धति का प्रारंभ से ही निरंतर पालन किया जाता रहा है और वार्षिक लेखों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में इसका विधिवत खुलासा किया गया है। **एनएफआरए पर एएस 12 की प्रयोज्यता पर:** जैसा कि लेखा परीक्षा के लिए सूचित किया गया है, "सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन" पर लेखा मानक (एएस)–12 मुख्य रूप से वाणिज्यिक या लाभ–उन्मुख इकाइयों में सरकारी अनुदानों के उपयोग की स्पष्टता के लिए तैयार किया गया है। इसके विपरीत, एनएफआरए एक गैर–वाणिज्यिक नियामक प्राधिकरण है, जिसका वित्तीय पोषण पूरी तरह से भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। अतः, एनएफआरए के दृष्टिकोण से, जैसा कि लेखापरीक्षा को भी बताया गया है, एएस 12 एनएफआरए जैसे निकायों पर लागू नहीं है। चूँकि लेखापरीक्षा का यह विचार है कि प्रस्तुति में परिवर्तन की आवश्यकता है और उसने एक अलग व्यवहार की सलाह दी है, इसलिए भविष्य की लेखा अवधियों में इसे उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए इसकी जाँच की जाएगी।

दिनांक 3 मार्च 2023 को अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था बनने के बाद से, एनएफआरए को ₹ 57.26 करोड़ रुपये (2022–23 में ₹ 5.76 करोड़, 2023–24 में ₹ 23.00 करोड़ और 2024–25 में ₹ 28.50 करोड़ रुपये) की अनुदान सहायता (सामान्य) प्राप्त हुई है। सरकार के स्वीकृति आदेशों के अनुसार, अनुदान सहायता (सामान्य) का उपयोग घरेलू और विदेशी यात्रा व्यय, किराया और दरें, पेशेवर सेवाओं के भुगतान आदि पर होने वाले आवर्ती सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना था। हालाँकि, एनएफआरए ने उपरोक्त अनुदानों में से ₹ 2.77 करोड़ की राशि का उपयोग स्थाई परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित) की खरीद के लिए किया, जिन्हें खातों में पूंजीकृत किया गया है और उन पर ₹ 0.48 करोड़ की संचित मूल्यह्रास राशि 31 मार्च 2025 तक प्रदान की गई थी। अनुदान सहायता (सामान्य) को लेखांकन मानक–12 के प्रावधानों के अनुरूप ₹ 2.77 करोड़ तक पूंजीगत होनी चाहिए इस प्रकार, अनुदान सहायता (सामान्य) का लेखा–जोखा उस सीमा तक उचित नहीं था, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। पिछले वर्ष अर्थात् 2023–24 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद, एनएफआरए द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सुझाव के अनुसार, 1 मार्च 2023 से अनुदान प्राप्तकर्ता का दर्जा प्राप्त करने के बाद, एनएफआरए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एकरूप प्रारूप का पालन कर रहा है, जिसके अनुसार एनएफआरए पूंजीगत मदों पर ₹ 5,000 से अधिक के किसी भी व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करता है। एनएफआरए ने लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया था कि सरकार से उसे प्राप्त अनुदान निर्दिष्ट स्थाई परिसंपत्तियों के लिए नहीं, बल्कि परिचालन उद्देश्यों के लिए हैं। लेखा परीक्षा को एएस 12 की प्रयोज्यता पर एनएफआरए के विचारों से अवगत करा दिया गया था (जैसा कि ऊपर बताया गया है)। एसएआर 2023–24 के अनुसरण में, एनएफआरए द्वारा की गई कार्रवाई में लेखा परीक्षा को एनएफआरए के विचारों से अवगत कराने के लिए लेखा परीक्षा के साथ की गई विस्तृत चर्चा शामिल थी। हालाँकि, लेखा परीक्षा का मानना है कि प्रस्तुति में परिवर्तन की आवश्यकता है और उसने एक अलग व्यवहार की सलाह दी है, इसलिए इसे भविष्य की लेखा अवधियों में उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए इसकी जाँच की जाएगी।

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

7वीं–8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
18–20, कस्तूरबा गांधी, नई दिल्ली – 110001